फैक्स/विशेष संवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या:- 437/6/आई एन एस टी/2009/सीसी एंड बीई

दिनांक: 23 फरवरी, 2009

सेवा में,

1. मंत्रीमण्डल सचिव,
   मंत्रीमण्डल सचिवालय,नई दिल्ली.
2. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय:- **विश्व आवास (हैबिटेट)** दिवस, पल्स पोलियों/एचआईवी **जागरूकता अभियान जैसे अवसरों और स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस,** गांधी जयंती, राज्य **निर्माण दिवस जैसे समारोहों के संबंध में विज्ञापनों का प्रकाशन ।**

महोदय,

लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के साधारण उप निर्वाचन कराए जाने एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान आयोग को मंत्रालयो/विभागों से विश्व आवास दिवस, पल्स पोलियों प्रतिरक्षण/एचआईवी जागरूकता अभियान के अवसर पर विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु विभिन्न सन्दर्भ प्राप्त होते हैं।

महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के विज्ञापन के प्रकाशन पर आपत्ति करने का आयोग का इरादा नहीं था । वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं सतारूढ़ दल सामाजिक संदेश पहुंचाने के वेश में सरकारी तंत्र का दुरूपयोग न करें जो कि सभी को समान अवसर प्रदान करने एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन कराने की भावना के विरुद्ध है। अतएव, भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि ऐसे विज्ञापनों को निकालने में कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उनमें किसी मंत्री/राजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्ति का फोटो या राजनीतिक संदेश न हो तथा वे पार्टी की उपलब्धियों पर विशेष बल न देते हों, जो मतदाताओं पर प्रभाव डाल सकते हों और उनके पक्ष में मतदान करने में प्रेरित कर सकते हैं ।

विभिन्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन जैसे-- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, तथा राज्यों के स्थापना दिवस बड़ी धूम-धाम से मनाए जाते हैं, जिसमें केन्द्र/राज्य मंत्री भी उपस्थित होते हैं । वे कई बार ऐसे राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे समारोहों को सत्तारूढ़ दल की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालकर या निर्वाचन लड़ने वाले उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक लाभ हेतु एक मंच की तरह बना लेते हैं । आयोग ने इस पर गंभीरता से विचार लिया है तथा यह निर्णय लिया है कि जब भी कोई मंत्री ऐसे समारोहों में भाग लेता है, तो उनके भाषणों की विषय वस्तु केवल ऐतिहासिक परिदृश्य तथा ऐतिहासिक व्यक्ति के कर्मों व उपलब्धियों तक ही सीमित होनी चाहिए तथा उन्हें इस बात पर अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं उनके राजनीतिक भाषणों से ऐसे फोरम राजनीति प्रचार अभियान के लिए एक मंच न बन जाए ।

इस कारण से इस दौरान सत्ता में वर्षों/दिवसों जैसे समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा क्योंकि ऐसे अवसर वस्तुतः सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए उपयोग किए जाते हैं ।

भवदीय

(के0 अजय कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि महानिदेशक, डीएवीपी, सूचना व प्रसारण मंत्रालय को उनकी सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित ।